न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2001/00087
मिसल नम्बर–282/2001

1.किशन आत्मज स्वर्गीय रघुनाथ जी जाति माली मृतक जर्ये कायम मुकामानः–
1/1.प्रेमबिहारी आत्मज किशना जी
1/2.मंगू बाई पुत्री किशना जी
1/3.शम्भू बाई पुत्री किशना जी
1/4.श्यानी बाई पुत्री किशना जी
निवासी ग्राम खजूरी तहसील कनवास, जिला कोटा
2.नन्दलाल आत्मज स्वर्गीय रघुनाथ जी जाति माली मृतक जर्ये कायम मुकामानः–
2/1.नवल कुमार आत्मज नन्दलाल जाति माली निवसी ग्राम सोगरिया हाल निवासी किशोरपुरा कोटा
2/2.रामचरण आत्मज नन्दलाल जाति माली निवासी सांगरिया हाल निवासी वीरसावरकर नगर, कोटा
3.बिरधा आत्मज स्वर्गीय रघुनाथ जी जाति माली मृतक जर्ये कायम मुकामानः–
3/1.राजाराज आत्मज बिरधा जी
3/2.रामावतार आत्मज बिरधा जी
3/3.कल्ली बाई बेवा बिरधा जी
3/4.नन्द कंवरी पुत्री बिरधा जी
निवासीगण ग्राम खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा। –वादीगण

बनाम

1.उच्छबलाल आत्मज गोपाल जी
2.छीतरलाल आत्मज गोपाल जी
3.किशोरी बेवा गोपाल जी जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा –प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित–
1.श्री घनश्याम नागर अभिभाषक वादीगण
2.श्री तेजमल जैन अभिभाषक प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक –7/2/2015

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,91,188 के तहत् वाद–पत्र वादी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
को.।

संक्षेपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा के माल में आराजी ख0नं0 257 रकबा 0.07, ख0नं0 259 रकबा 0.51 हैक्टर ख0नं0 260 रकबा 1.54 हैक्टर, ख0नं0 278 रकबा 0.53 हैक्टर कुल किता 4 रकबा 2.65 हैक्टर स्थित है उक्त भूमि वादीगण के पिता के खातेदारी की थी। राजस्व अधिकारीयों द्वारा वादीगण के पिता का नाम रिकार्ड से हटाकर प्रतिवादीगण के नं0 1, 2 व 3 के नाम खाते में दर्ज कर दी। सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजी के पुराने नम्बर 277, 278, 279 थे तथा स0 2016 से 2024 के मिलान क्षेत्र फल में ख0नं0 267, 268, 269 थे। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण एवं उनके पिता को कोई सूचना न कर राजस्व रिकार्ड से उनका नाम खाते से हटाकर गलत तथ्यो के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का नाम खाते में इन्द्राज दुरूस्ती अधिकार घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण रिकार्ड राजस्व में अपना नाम होने के कारण वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने पर आमदा है तथा भूमि को खुर्द बुर्द करने के प्रयास में है इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रूकवाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 उक्त गलत इन्द्राज की आड में आये दिन ही वादी के शांति पूर्ण कब्जे कब्जे काश्त में मदाखालत व मजाहमत करते रहेते है तथा वादीगण को बेदखल कर कब्जा करने के प्रयास में लो रहते है तथा अभी दिनांक 18.03.1997 को वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण आ गये तथा वादीगण को बेदखल करने की धमकी दी प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 ने यह भी धमकी दी कि प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकार्ड में है ओर वह कब्जा करके रहेगा तथा भूमि को ज्यादा होगा तो खुद बुर्द भी कर देगे। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न प्रकार से डिक्री परमाई जावे। आराजी ख0नं0 257 रकबा 0.70 है0, ख0नं0 259 रकबा 0.51 है0, ख0नं0 260 रकबा 1.54 है0, ख0नं0 278 रकबा 0.53 है0 कुल किता 4 रकबा 2.65 है0 वाके ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा का वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का नाम उक्त आराजी के खाते से खारिज किया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड बहैसियत खातेदार टेनेन्ट अंकित किया जावे तथा रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमाया जावे। वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 के विरूद्ध इस अमर की स्थायी निषे0 की डिक्री पारित की जावे कि प्रति0 वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे काश्त की आराजीयात जिसका विवरण वाद पत्र की मद नं0 1 से दिया गया है मे किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधि से करवाये तथा वादीगण को शांति पूर्वक काश्त करने दे व काबिज रहने देवे। वाद का व्यय वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे अन्य न्यायोचित सहायता जो मिल सके वह भी वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। बाद तलबी वादी के वाद–पत्र का प्रतिवादी क्रम 1 एवं 2 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया गया है कि वादीगण के पिता की खातेदारी में सन 37 के पूर्व दर्ज थी। वादीगण के पिता ने सन 37 में उक्त आराजी को गोपाल जी को विक्रय कर दिया। गोपाल जी द्वारा उक्त आराजी को खरीदने पर विधिवत रूप से नामान्तरण करण खोल कर गोपाल जी के खाते दर्ज की गई है। विवादित भूमि पर गत 60 वर्षो से भी अधिक से प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पिता गोपाल जी का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पूर्वज तो गत 60 वर्षो से कभी भी ग्राम सोगरिया में ही नहीं रहे। इसलिये वादीगण का विवादित आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

कब्जा होना सर्वथा असत्य है। वादीगण का विवादित आराजी पर कभी कब्जा ही नहीं रहा, तो ऐसी स्थिति में वादीगण को धमकी देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है गत 30–40 वर्षो में वादीगण कमी सोगरिया में ही नहीं आये। वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा गत 60 वर्षो से नहीं है। स्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में वादीगण अपने वाद को समयावधि में लाने के प्रयास में है, जबकि वादीगण वास्ते प्राप्ति कब्जा सर्वथा मियाद बाहर है। विवादित आराजी सन 37 से पूर्व खातेदार रघुनाथ से प्रतिवादीगण के पिता गोपाल जी ने 60 रूपये अक्षरे साठ रूपये में खरीद कीथी, तथा तत्कालीन कानून के अनुसार उक्त भूमि का खरीददार गोपाल के नाम नामान्तरण 254 दिनांक 14.04.1937 को तस्दीक किया गया था। तभी से गोपाल उक्त भूमि पर खातेदार की हैसियत से काबिज चला आ रहा है, तथा गोपाल जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज चले आ रहे है। 63 वर्ष से वादीगण के पिता अथवा वादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध नहीं रहा है। वादीगण ने अकारण ही प्रतिवादीगण को परेशान करने के ध्येय से यह मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है, इस कारण प्रतिवादीगण वादीगण से विशेष हर्जा 5000 रूपये प्राप्त करने के अधिकारी है।

बाद जवाब–दावा प्राप्त होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया विवादित आराजीयात वादीगण व उनके पिता के नाम रेकार्ड पर रही ? आया सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने अकारण वादीपक्ष का नाम रेकार्ड से हटाया व प्रतिवादी का नाम दर्ज किया ?

–वादी

2. आया प्रतिवादी के पिता से सन 1937 में विवादित आराजी वादीगण के पिता ने विक्रय की जिसका नामान्तरण करण सं0 254 दिनांक 14.04.1937 दर्ज होकर भूमि गोपाल के खातेदर्ज हुई ?

–प्रतिवादी

3. आया गत 60 वर्षों से प्रति0 व उनके पिता गोपाल काबीज चले आ रहें है ?

–प्रतिवादी

5. पक्षकार किस सहायता के हकदार है ?

6.

तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त पत्रावली में साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वादीगण की ओर से साक्ष्य वादी में साक्ष्य शपथ पत्र नवल किशोर पुत्र श्री नंदलाल पेश किया एवं दस्तोवज ग्राम सोगरिया जमाबंदी सम्वत 2049–2052 प्रदर्ष पी 1, जमाबंदी सम्वत 1986–1989 प्रदर्ष पी 2, जमाबंदी सम्वत 1990–1993 प्रदर्ष पी 3, जमाबंदी सम्वत 2016–2024 प्रदर्ष पी 4, जमाबंदी सम्वत 2038–2057 प्रदर्ष पी 5 कराये गये।

शाक्ष्य वादी के पश्चात प्रतिवादी नं0 1 के अधिवक्ता द्वारा जिरह वादी की गई।

जिरह वादी के पश्चात् साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी नं0 2 की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र डी0डब्ल्यू 1 पेश किया गया है एवं दस्तावेज इंतकाल प्रदर्श ए1 पेश किया।

साक्ष्य प्रतिवादी के पश्चात पत्रावली जिरह प्रतिवादी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी नं 2 से वादी अधिवक्ता द्वारा जिरह पूर्ण की गई।

बहस वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 अभिभाषक सुनी गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में तनकी वार निर्णय की ओर अग्रसर होते हैं:–

तनकी नं.–1 आया विवादित आराजीयात वादीगण व उनके पिता के नाम रेकार्ड पर रही ? आया सेटलमेन्ट अधिकारीयों ने अकारण वादीपक्ष का नाम रेकार्ड से हटाया व प्रतिवादी का नाम दर्ज किया ?

वादी।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर हैं। इस हेतु वादीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल की नकल व जमाबंदी प्रस्तुत की गई है। वादीगण का कथन है कि राजस्व अधिकारीयों द्वारा वादीगण के पिता का नाम रिकार्ड से हटाकर प्रतिवादीगण के नं0 1, 2 व 3 के नाम खाते में दर्ज कर दी। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण एवं उनके पिता को सूचना दिये बिना ही राजस्व रिकार्ड से उनका नाम खाते से हटाकर गलत तथ्यो के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का नाम खाते में दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। प्रतिवादीगण का कथन है कि वादीगण के पिता की खातेदारी में सन 37 के पूर्व दर्ज थी। वादीगण के पिता ने सन 37 में उक्त आराजी को गोपाल जी को विक्रय कर दिया। गोपाल जी द्वारा उक्त आराजी को खरीदने पर विधिवत रूप से नामान्तरण करण खोल कर गोपाल जी के खाते दर्ज की गई है। विवादित भूमि पर गत 60 वर्षो से भी अधिक से प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के पिता गोपाल जी का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पूर्वज तो गत 60 वर्षो से कभी भी ग्राम सोगरिया में ही नहीं रहे। अपने उक्त कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज इंतकाल प्रदर्श ए1 पेश किया। प्रतिवादीगण की ओर से भी अपने जवाब दावा में इस कथन की स्वीकारोक्ति रही है कि सन 1937 के पूर्व यह आराजी वादीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज थी। परन्तु सन 1937 में वादीगण के पिता ने उक्त आराजी को गोपाल जी को विक्रय कर दिया। जमाबंदी सम्वत 1986–1989 प्रदर्ष पी 2, जमाबंदी सम्वत 1990–1993 प्रदर्ष पी 3 एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावे के अवलोकन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि विवादाग्रस्त आराजी वादगीण के पूर्वज रघुनाथ बेटा मेदा के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। परन्तु सेटलमेंट अधिकारीयों ने वादीपक्ष का नाम रिकॉर्ड से हटाकर प्रतिवादी के नाम दर्ज दी हो इस तथ्य के पक्ष वादीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज इंतकाल प्रदर्श ए1 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से प्रतिवादीगण के इस कथन की पुष्टि होती है कि वादीगण के पिता द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता को विक्रय दी थी। इस आधार पर यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नं0–2 आया प्रतिवादी के पिता से सन 1937 में विवादित आराजी वादीगण के पिता ने विक्रय की जिसका नामान्तरण करण सं0 254 दिनांक 14.04.1937 दर्ज होकर भूमि गोपाल के खातेदर्ज हुई ।

प्रतिवादी।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। वादीगण की ओर से कथन किया गया है कि सेटलमेंट अधिकारी द्वारा राजस्व रिकार्ड से उनका नाम खाते से हटाकर गलत तथ्यो के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का नाम खाते में दर्ज कर दिया। परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वादीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई पुख्ता एवं ठोस दस्तावेज पेश नही किया जिस कारण से वादीगण के उक्त कथन पर विश्वास किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। प्रतिवादीगण की ओर से दस्तावेज इंतकाल प्रदर्श ए1 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से प्रतिवादीगण के इस कथन की पुष्टि होती है कि वादीगण के पिता द्वारा उक्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता को विक्रय दी थी।

तनकी नं0 –3 आया गत 60 वर्षों से प्रति0 व उनके पिता गोपाल काबिज चले आ रहें है ?
प्रतिवादी

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। दस्तोवज ग्राम सोगरिया जमाबंदी सम्वत 2049–2052 प्रदर्ष पी 1 एवं दस्तावेज इंतकाल प्रदर्श ए1 के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि विवादाग्रस्त आराजी विगत कई वर्षो से प्रतिवादी के खाते दर्ज रही है। कानूनन रिकॉर्डेड खातेदार के पक्ष में कब्जा काश्त की अवधारणा रहती हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

उक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर वादीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड से उनका नाम खाते से हटाकर गलत तथ्यो के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का नाम खाते में दर्ज किया है। तनकी नं0 01 वादीगण के विरूद्व तय की गई है तथा तनकी नं. 02 एवं 03 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की गई है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 7/2/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा